हुक्म तामील
नंबर व
तारीख

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर , जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- विनोद कुमार मल्होत्रा RAS

राजस्व वाद संख्या :- 24/2016

दायर तिथि :- 30/04/2016

निर्णय तिथि :- 15/06/2018

वादी:-

कालू सिंह उर्फ़ सुरेश सिंह पुत्र , परतीगजी
जाति- पुरोहित, निवासी नेतरा

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार (भूमिधारी)
सुमेरपुर

वाद्पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 RT Act, 1995

उपस्थित :-

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री गणपत सिंह राजपुरोहित उपस्थित
2. प्रतिवादी की और से सरकार पैरोकार नायब तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित

-: निर्णय :-

निर्णय दिनांक :- 15/06/2018

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है -

(1) की वादी ने वाद्पत्र में निवेदन किया है की सरहद मोजा नेतरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त आराजी गत खसरा न:- 365 रकबा 12 बीघा किस्म बारानी दोयम जिसके वर्तमान खसरा न : 478 रकबा 0.10 हेक्टेयर व खसरा न : 479 रकबा 0.74 हेक्टेयर किस्म नहरी दोयम है ! वादग्रस्त आराजी पर वादिगण के पिता स्व: परतीग पुत्र ओकाजी जाति पुरोहित का पुराना कब्ज़ा कास्त रहा है व लगातार कब्ज़ा चला आ रहा है यह भूमि श्रीमान उपखंड अधिकारी जी बाली द्वारा दिनांक 19/07/1965 को आवंटन की गई थी ! आवंटन होने पर आवंटि के पुत्र श्री कालू सिंह द्वारा आरक्षित मूल्य एवं शास्ती जमा करा दी एवं तब से ही कब्ज़ा लगातार चला आ रहा है किन्तु भू प्रबंध अधिकारियो ने वादी के नाम राजस्व रेकड़ में इन्द्राज नही किया है ! वादग्रस्त भूमि पर वादी का आवंटन पहले से व आज तक कब्ज़ा कास्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है लेकिन राजस्व सेटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियो ने इस भूमि को वादिगण के नाम आज तक खातेदारी में दर्ज नही की गई है वादीगण खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है ! भूमि सिवायचक दर्ज होने से वादिगण के विरुद्ध धारा 91 आर . एल . आर एक्ट के तहत कारवाही करके जुर्माना आरोपित करने व बेदखल करने पर तहसीलदार (प्रतिवादी) आमद रहते है ! वाद वादिगण स्वीकार कर व डिग्री फरमाकर वादग्रस्त भूमि का वादिगण को खातेदार को घोषित करने एवं वादिगण के कब्जे कास्त में प्रतिवादी किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नही करे इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का निवेदन करने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया

(2) की सरकारी पैरोकार तहसीलदार (भूमिधारी) द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तत पच्चात वादी की और से शहादत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया वकील वादी ने शहादत के रूप में उपखंड अधिकारी बाली के आदेश दिनांक 19/07/1965 के आवंटन की प्रमाणित प्रतिलिपि , मिलना क्षेत्रफल की प्रमाणित जमाबंदी स्वत 2068 से 2071 की प्रमाणित प्रतिलिपि कायम करवाया गया ! प्रतिवादी की और से पटवारी हल्का नेतरा श्री

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

कुमार, आर. आई. बांकली व नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसको पत्रावली पर लिया गया पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य - दस्तावेजो का सावधानी पूर्वक आवलोकन व परीक्षण किया

वादिगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य - दस्तावेज एवं तत्कालीन पटवारी नेतरा श्री दिनेश कुमार के बयाँ अनुसार वादग्रस्त आराजी दिनांक 19/07/1965 को श्री मान उपखंड अधिकारीजी बाली द्वारा वादिगण को आवटन हो चुकी है हाल खसरा न: 478 रकबा 0.10 हेक्टेयर व खसरा न : 479 रकबा 0.74 हेक्टेयर मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा न : 365 से बने है आवंटन आदेश दिनांक : 19/07/1965 किसी भी न्यायलय द्वारा निरस्त नही हुआ है आवंटन का नामान्तरण के अधिकार राजस्व कर्मचारियों व भुप्रभंद विभाग को थे परन्तु वाद ग्रस्त भूमि वादिगण की आवंटन शुदा भूमि है तथा आवंटन आदेश का राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद नही होने से वादिगण को अतिक्रमी माना जा रहा है

(3) वादिगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से स्पस्ट है की वादिगण के पिता श्री स्व. परतीग पुत्र ओकाजी को श्रीमान उपखंड अधिकारी जी बाली द्वारा दिनांक 19/07/1965 को आवंटन कृषि भूमि का आज दिनांक तक राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद नही किया गया है एवं उक्त आवंटन आदेश आज दिनांक तक निरस्त नही किया गया है आवंटन आदेश आज भी प्रभावी है एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार किसी भी न्यायलय में मामला विचाराधीन नही है

पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रिकॉर्ड व दस्तावेजो का अवलोकन व परिक्षण किया गया, जिससे यह साबित होता है की वादी श्रीमान उपखंड अधिकारी जी बाली द्वारा आवंटन आदेश अनुसार ग्राम नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वाद ग्रस्त भूमि गत खसरा न: 365 रकबा 12 बीघा किस्म बारानी दोयम जिसके वर्तमान खसरा न : 478 रकबा 0.10 हेक्टेयर व खसरा न : 479 रकबा 0.74 हेक्टेयर किस्म नहरी दोयम भूमि है का आवंटन भूमि का राजस्व कर्मचारियों व सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा रेकार्ड में इन्द्राज नही कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया ! वक्त आवंटन से वादिगन का लगातार कब्ज़ा होना प्रमाणित है इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य - दस्तावेजो का सावधानी पूर्वक आवलोकन व परीक्षण करने के पचछात हमारे विधिक मतानुसार वादग्रस्त आराजी बाबत वादिगण विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार करने एव डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है

अत: वादिगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है वादी को विवादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नेतरा के खसरा न ; 478 रकबा 0.10 हेक्टेयर व खसरा न : 479 रकबा 0.74 हेक्टेयर किस्म नहरी दोयम भूमि का वर्तमान D.L.C. का 10% राशी वसूल कर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिए जाते है तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर व पटवारी हल्का नेतरा माफिक निर्णय राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करे साथ ही प्रतिवादी या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से हस्तक्षेप या दखलंदाजी नही करे इस अमर की स्थाई निषेधागया जारी की जाति है माफिक निर्णय डिक्री - पर्चा मुर्तिब हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहां करे पत्रावाली फेसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

यह निर्णय आज दिनांक 15/06/2018 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प नेतरा में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner